

मवेशियों को खुला छोड़ने पर 4 मवेशी पालकों पर 1000-1000 का जुर्माना अध्यादेश की मंजूरी के बाद तत्काल कार्यवाही प्रारंभ

रतलाम 27 अप्रैल । मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि संशोधन अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नगर में ऐसे मवेशी पालक जो कि जानबूझकर अपने मवेशियों को सड़कों, चौराहों, सार्वजनिक स्थानों आदि पर खुला छोड़ देते हैं उन पर जुर्माने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में नगर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा प्रारंभ कर दी गई जिसके तहत 4 मवेशी पालकों पर 1000-1000 की राशि का जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि संशोधन अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नगर निगम रतलाम द्वारा मवेशी पालकों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गई है जिसके तहत तैलियों की सड़क व त्रिवेणी मुक्तिधाम रोड पर मवेशी पालक सुनील राठौर, अशोक राठौर, नितिन राठौर व जगदीश राठौर द्वारा अपने मवेशियों को खुला छोड़ने पर 1000-1000 का जुर्माना किया गया यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

ऐसे मवेशी पालक जो कि रतलाम नगर की सड़कों, चौराहों, सार्वजनिक स्थानों आदि क्षेत्रों में अपने मवेशियों को खुला छोड़ेंगे तो संबंधित मवेशी पालक के विरुद्ध 1000 की राशि का जुर्माना किया जायेगा।

नगर पालिक निगम कर्मचारी यूनियन की 15 सूत्रीय मांगों के निराकरण के संबंध में हुई चर्चा

रतलाम 27 अप्रैल । नगर पालिक निगम कर्मचारी यूनियन की 15 सूत्रीय मांगों के निराकरण के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम अधिकारी के साथ यूनियन के पदाधिकारियों से चर्चा की।

नगर पालिक निगम कर्मचारी यूनियन की 15 सूत्रीय मांगों के संबंध में चर्चा करत हुए 12 जायज मांग पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने सहमति प्रदान कर मांगों का समय-सीमा में निराकरण किये जाने हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री सर्वश्री सुरेशचन्द्र व्यास, मोहम्मद हनीफ शेख, जी.के. जायसवाल, प्रभारी सहायक यंत्री श्री सत्यप्रकाश आचार्य, लेखाधिकारी श्री विजय बालोद्रा, निज सहायक श्री सुभाष गोयल, सहायक वर्ग-2 श्री गोपाल झालीवाल, सहायक वर्ग-3 श्री प्रकाश चौहान, नगर पालिक निगम कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी सर्वश्री राजेन्द्रसिंह राठौर, हेमन्त सोलंकी, इलियास मंसूरी, कुलदीप भट्ट, कैलाश

गेहलोत, हेमन्त बन्दोडिया, मनीष परिहार, जयदीप गोहिल, योगेश कपूर, विशाल भटनागर आदि उपस्थित थे।

गंदगी करने पर 4 दुकानें सील

रतलाम 27 अप्रैल । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैं, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन व दुकानें सील करने की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 27 अप्रैल बुधवार को सज्जन मिल रोड क्षेत्र में गोस्वामी ऑटो सेन्टर, लक्की शॉकप रिपेयरिंग सेन्टर, भवानी ऑटो पार्ट्स व त्रिदेव गैस अप्लासेंस को गंदगी करने पर सील किया गया।

नगर निगम के विभिन्न करों से 10.17 लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम 27 अप्रैल । संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास शाखा, बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करों के तहत 27 अप्रैल को कुल राशि रूपये 10,17,522/- का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 27 अप्रैल को संपत्तिकर कार्यालय 320615, वसूली दल 201556 कुल 522171, जलकर कार्यालय से 221320, वसूली दल 74140 कुल 295460, स्पॉट फाईन 13500, लायसेंस 63741, दुकान-गुमटी किराया कार्यालय 122650 इस तरह कुल राशि रूपये 10,17,522/- का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

27 अप्रैल मंगलवार को कचरा संग्रहण हेतु लगाई 252 ट्रीप 115 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 27 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 27 अप्रैल बुधवार को 115 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

27 अप्रैल बुधवार को डम्पर से 33515 किलो, ट्रेक्टर से 8340 किलो, मैजिक सूखा कचरा 49630 किलो, मैजिक गीला कचरा 24095 किलो इस तरह कुल 115580 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

14 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त

रतलाम 27 अप्रैल । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 27 अप्रैल को प्रातः 10 व दोपहर में 4 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलंबन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

27 अप्रैल बुधवार को झोन क्रमांक 1 में बादल-दिलीप, अजय-विनोद, उमेश-प्रहलाद, विजय-सुरेश, झोन क्रमांक 2 में नितिन-कमल, मोहित-गोपाल, रमेश-मुंशी, महेन्द्र-नेहरू, रवि-सुरेश, इन्द्राबाई पति दिनेश, दोपहर की शिफ्ट में झोन क्रमांक 2 में उषाबाई पति मनोहर, अनिताबाई पति दीपक, कलाबाई पति पिस्तोल, झोन क्रमांक 2 में नरेन्द्र-कन्हैया इस तरह 14 कर्मचारियों द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलंबन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते हैं उन्हें सेवा से बर्खास्त/निलंबन की कार्यवाही की जायेगी।

रात्रिकालिन सफाई के 19 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 27 अप्रैल । शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा 26 अप्रैल मंगलवार को निरीक्षण किये जाने पर रात्रिकालीन सफाई के 19 कर्मचारियों द्वारा बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

26 अप्रैल मंगलवार को रात्रिकालीन सफाई के कर्मचारी मंगल-बाबुलाल गोहर, शेखर-सोहनलाल, सन्नी-मुकेश, दीपक-रतन, संतोष-जवरचन्द्र, अमित-कमल, आनन्द-बाबुलाल, पंकज-फिरोज, दीपक-पुनमचन्द्र, विजय-सुरेश, नवीन-फिरोज, शैलेन्द्र-रतनलाल, राकेश-दुलीचन्द्र, ओमप्रकाश-नन्दलाल, नरेन्द्र-नवीन, रोहित-प्रभुदयाल, उमेश-दशरथ, हीरा-श्यामलाल व पर्वत-ईश्वर बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये गये।

**बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30
प्रतिशत अवैध निर्माण का होगा प्रशमन (कम्पाउडिंग)**

30 जून तक प्रशमन शुल्क में दी जा रही 20 प्रतिशत छूट

रतलाम 27 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रशमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगन वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये हैं।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रशमन (कम्पाउडिंग) 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो0नं0 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 27 अप्रैल । निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री के नियमानुसार निष्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपशिष्ट सामग्री कांक्रीट, ईंट, मुरम, मलबा, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, मोर्टर, साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराये रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 27 अप्रैल । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने

श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग को लायसेंस शाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे श्वान पालक जिन्होंने अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें नगर निगम द्वारा सूचना-पत्र जारी किये जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले श्वान पालकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000/- एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500/- प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100/- रूपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 27 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 27 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/27.04.2022/न.पा.निगम, रतलाम.